उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

15/10/17

पत्रावली पेश हुई। मुताबिक साबिक नक्शा शीट सम्वत-2073 हाल शीट में तरमीम का आदेश दिया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बाद तामील / तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी – सुनील आर्य
(आर.ए.एस.)

पत्रावली संख्या 137/18

रणजीत वगै0

बनाम

सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज तरमीम नक्शा

उपस्थिति – 1. एडवोकेट श्री अरविन्द जोशी
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 14.10.2019

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रणजीत, रामपाल, हट्टीराम पिता गेन्दा जाति मीना निवासी उगरियावास द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज तरमीम नक्शा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम उगरियावास में खसरा नं0 171 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसके साबिक खसरा नं0 282 मिन रकबा 18 बिस्वा, खसरा न0 283 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, तथा खसरा नं0 287/112 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी के समीप खसरा नं0 172 रकबा 07 बिस्वा भूमि है जो राजस्व विभाग में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज चली आ रही है। खसरा नं0 172 को वर्तमान में दो जगह दर्ज किया हुआ है, जो गलत है। प्रार्थी के आराजी खसरा नं0 171 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा साबिक खसरा नं0 283,282 मिन व 287/112 से बनी है। अतः नक्शा ट्रेश में वर्तमान तरमीम को विलोपित कर उसके स्थान पर मौके व रकबे अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम का अंकन किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर लैण्ड होल्डर तहसीलदार लालसोट ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार खसरा नं0 171 के दक्षिण–पश्चिम में स्थित खसरा जिसमें 172 दर्ज है, वह खसरा नं0 172 न होकर खसरा नं0 171 का ही भाग होना प्रस्तावित है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0

Scanned with CamScanner

प्रार्थी ने अपने समर्थन में –

1. नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 ग्राम उगरियावास खसरा नं0 171
2. नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 ग्राम उगरियावास खसरा नं0 172
3. नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2021 ग्राम उगरियावास
4. नकल नक्शा शीट मौका उगरियावास सम्वत् 2003
5. नकल नक्शा ट्रेश खसरा नं0 171 व 172 ग्राम उगरियावास
6. नकल फोटोप्रति तहसीलदार व पटवारी रिपोर्ट

दस्तावेज प्रस्तुत किये है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया। मिलान क्षेत्रफल के खसरा नं0 283 व 282 मिलान व 287 से हाल खसरा नं0 171 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा का बनना बाकूबी सिद्व है किन्तु खसरा नं0 171 की हाल नक्शा शीट में तरमीम हिस्से अनुरूप नहीं है अप्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में खसरा नं0 171 व 172 ग्राम उगरियावास की तरमीम में सही होना नहीं पाया है। यह पुष्टि भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान ही हुई है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर हाल नक्शा शीट ग्राम उगरियावास में खसरा नं0 171 व 172 की तरमीमों को निरस्त किया जाता है और साबिक नक्शा शीट ग्राम उगरियावास सम्वत् 2003 के मुताबिक साबिक खसरा नम्बरान के अनुसार हाल नक्शा शीट में तरमीम किये जाने के तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार लालसोट को उक्तानुसार नक्शा शीट में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
उप जिला मजिस्ट्रेट
लालसोट

Scanned with CamScanner